रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-08072024-255280
CG-WB-E-08072024-255280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2522] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2024/आषाढ 17, 1946
No. 2522] NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2024/ASHADHA 17, 1946

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 24 जून, 2024

का.आ. 2657(अ).—कारण बताओ नोटिस संख्या पटसन(टी)-6/1/178-जूटमिल-2015-IV(ई)-पार्ट -1 दिनांक 18/09/2023 के अंतर्गत कथित जूट मिल कंपनी, मैसर्स लुमटेक्स इंजीनियरिंग प्रा.लि. के विरूद्ध कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, अन्य बातों के साथ-साथ उक्त आरोपों का उल्लेख नीचे दिया गया है।

क) अप्रैल से जून 2023 की अवधि के दौरान, कथित मिल कंपनी ने इस कार्यालय द्वारा जारी उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध विभिन्न सरकारी अभिकरणों को बी.टविल बारदानों से युक्त 5359 गाठों की आपूर्ति और 3900 गांठो की आपूर्ति NAFED को गई है। दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रत्यक्ष सत्यापन के बाद यह देखने में आया कि इस अवधि के दौरान मेसर्स कमर्शियल लिमिटेड के जरिये कथित मिल कंपनी को 6456 गांठें प्रत्यक्ष तौर पर या एक मेसर्स एक्सिस ओवरसीज़ लिमिटेड के माध्यम से भेजी गई।

ख) कथित जूट मिल द्वारा इस तथ्य को पुख्ता करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नही कर पाएं है कि मेसर्स एमआरपी या मेसर्स एक्सिस ओवरसीज लिमिटेड के पास कथित मिल के साथ सरकारी बी.टविल बारदानों की आपूर्ति की व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होने के समय ठीक अप्रैल से जून 2023 की अवधि के दौरान बीआइएस का लाइसेंस था।

ग) चूंकि, जिस निर्माता से आपूर्तिकर्ता ने सरकारी एजेंसियों को बी.टवील बारदानो की आपूर्ति की है, उसके पास आपूर्ति के समय बीआईएस लाइसेंस नहीं था, इसलिए, कथित जूट मिल का लाइसेंस संख्या जो बारदानों पर अंकित/ब्रांड किये गये है। उस समय आपूर्ति भ्रामक, गैरकानूनी और **गलत ब्रांडेड** थी।

घ) इसलिए, कथित मिल कंपनी ने पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 पैराग्राफ 2 (एच) में दी गई परिभाषा के संदर्भ में अनुचित व्यवहार किया है:-

पैराग्राफ 4 के तहत दिए गए आदेश के संबंध में **अनुचित व्यवहार** में बारदानों का दुरुपयोग, बारदानों की आपूर्ति न होना या आपूर्ति में चूक, इस्तेमाल किए गए या पुराने बारदानों या कम वजन वाले बारदानों या आयातित बारदानों की आपूर्ति, शामिल होगी। कच्चा जूट या जूट धागा या वस्त्र, **गैर-ब्रांडेड या अपूर्ण ब्रांडेड या गलत ब्रांडेड बारदानों या बारदानों, जो बीआईएस मानकों या उत्पादन नियंत्रण आदेश में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं हैं।**

ङ) कथित मिल कंपनी ने पीसीएसओ की शर्तों का भी उल्लंघन किया है, जो निर्माता को अपेक्षित भंडार का उत्पादन और वितरण करने का आदेश देती है। हालाँकि, कथित मिल कंपनी ने अपेक्षित भंडार खरीद और वितरित कर दिया है। इसके अलावा, ऐसी सामग्री उस इकाई से खरीदी गई थी जिसके पास उस समय बीआईएस लाइसेंस नहीं था।

कथित मिल कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के साथ, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के कड़ाई से अनुपालन में सुनवाई प्रदान की गई थी।

26 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई की गई थी, जिस तारीख को कथित मिल कंपनी ने स्थगन की प्रार्थना की थी। इसके बाद 29 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई।

मिल कंपनी मेसर्स लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ निम्नलिखित संवाद किया गया था:

1. दिनांक 27.06.2023 के पत्र के माध्यम से मेसर्स लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्रा. लि. लिमिटेड को इस कार्यालय में 28.06.2023 तक **3 महीने के लिए जीएसटीआर1 और उत्पादन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था।**
2. दिनांक 06.07.2023 के पत्र के माध्यम से मेसर्स लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को पत्र जारी किया गया था। लिमिटेड को 10.07.2023 तक **3 महीने के लिए जीएसटीआर 1 और उत्पादन रिपोर्ट एवं चालान प्रतियां** के पत्र संख्या अनुस्मारक-I के साथ इस कार्यालय में जमा करनी होंगी। जूट (टी)-6/1/178/जूट मिल/15-II (ई) दिनांक 13.07.2023 और अनुस्मारक-II पत्र संख्या के माध्यम से। जूट (टी)-6/1/178/जूट मिल/15-II (ई) दिनांक 08.08.2023; और बाद में दिनांक 19.07.2023 और 10.08.2023 को मेसर्स लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से उत्तर प्राप्त हुआ।
3. दिनांक 18.09.2023 मेसर्स लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
4. दिनांक 28.09.2023 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ का कथित उत्तर मेसर्स लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ था।

तदनुसार, इस निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के माध्यम से पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के अनुसार जूट मिल के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई।

कथित मिल कंपनी ने सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गए कारण बताओ और विभाग द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों के माध्यम से बताए गए आरोपों का खंडन करते हुए उत्तर दिया कि:-

क) कंपनी के पास अलग-अलग कंसाइन्डियों को उचित समय पर हजारों गांठों की आपूर्ति करने की लंबे समय से अच्छी प्रतिष्ठा है, इस कार्यालय द्वारा दिए गए पीसीएसओ के खिलाफ आपूर्ति के लिए तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित बैग का उपयोग करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं वे संबंधित हैं NAFED के ऑर्डर

की आपूर्ति करना, जिसका इस कार्यालय द्वारा जारी PCSOs से कोई संबंध नहीं है; इसलिए पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं

ख) कथित मिल कंपनी इस बात से भी इंकार किया और मंतव्य दिया कि तीसरे पक्ष के निर्माता से खरीदे गये बारदानों के पास कोई वैध बीआइएस लाइसेंस नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि, पीसीएस के विरूद्ध संतोषजनक आपूर्ति के बाद, उनके द्वारा अधिक मात्रा में तैयार बारदान NAFED को दिये गए कार्य आदेश के अनुरूप ही NAFED को दिये जाते हैं।

सुनवाई के पश्चात निर्णायक प्राधिकारी ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :

"उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कथित मिल कंपनी को NAFED द्वारा किये गए कार्य आदेश की मूल/प्रमाणित प्रतियां फरवरी से जून, 2023 अवधि के लिए आदेश और आपूर्ति का विस्तृत आंकड़ा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया; कथित मिल कंपनी को संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है उन्हें NAFED द्वारा अधिकृत किया गया है कि, वे तीसरे पक्ष से तैयार बी-टवील बारदानों का उपयोग कर सकते हैं। सभी दस्तावेज आदेश प्रति प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर दिया जाना है।"

तदनुसार, कथित मिल कंपनी ने अपने एलडी एडवोकेट के माध्यम से दिनांक 22.02.2024 को अपने शून्य क्रम संख्या पत्र के माध्यम से कथित तौर पर जवाब दिया। हांलाकि, कथित मिल से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो यह प्रमाण कर सके कि NAFED ने कथित मिल को आउटसोर्स अभिकरण से बी.टवील बारदाना खरीदने की अनुमति दी थी, जिसके पास कोई बीआइएस लाइसेंस नहीं था।

मैनें कथित मिल कंपनी के विरूद्ध लगाए जा रहे आरापों, ऐसे आरोपों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों और प्रत्यक्ष निरीक्षण रिपोर्ट का अध्ययन किया है। मैंने कथित मिल कंपनी की प्रतिस्पर्धी दलीलें भी सुनी है। कंपनी द्वारा मुहैया कराये गये कागजात मिल कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों (जिनके पास कोई बीआइएस लाइसेंस नहीं था) से बारदानों की क्रय का विवरण प्रदर्शित करते हैं।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.2601(ई)दिनांक 6 जून, 2022 के पैराग्राफ 2 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि पटसन निर्मित उत्पादों में बीआइएस अनुरूपता होनी चाहिए। यह स्पष्ट था कि बारदाना उन संस्थाओं से क्रय किये गये जिनके पास बीआइएस लाइसेंस नही था। बीआइएस अधिनियम, 2016 की धारा 17(1) के अनुसार कोई भी निर्माता वैध लाइसेंस के बगैर किसी भी उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा, जिसके लिए बीआइस अनुरूपता की आवश्यकता होती है। इस मामलें में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए दस्तावेज इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि, कथित मिल कंपनी ने अप्रैल से जून, 2023 के दौरान मेसर्स एमआरपी कमर्शियल और मेसर्स एक्सिस ओवरसीस लिमिटेड से बी.टवील बारदानें क्रय की है, और सरकारी अभिकरणों को NAFED सहित आपूर्ति की है। यह उत्पादन नियंत्रण और आपूर्ति आदेश के मौजूदा प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो उत्पादन के बाद पीसीएसओ अनुसार माल की प्रेषण निर्धारित करता है, और पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के अनुसार "अनुचित व्यवहार" में विहित परिभाषा के प्रावधानों को आकर्षित करता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कथित मिल कंपनी के विरूद्ध आरोप स्थापित हो गए है।

<u>आदेश</u>

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016, पैराग्राफ 8 (ए) के अनुसार, कथित मिल कंपनी को उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए सरकारी आपूर्ति इस आदेश के प्रभावी होने से उक्त तारीख से 3 महीने तक कोई भी पीसीएसओ प्राप्त करने से रोक दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के प्रभावी होने की तारीख तक सरकारी आपूर्ति का कोई आदेश मिल कंपनी में है तो उक्त मिल कंपनी द्वारा उसे पूरा किया जाना है।

मामला निस्तारित हो गया है।

यह आदेश तत्काल प्रसारित किया जाए।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(2)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 24th June, 2024

S.O. 2657(E).—Vide show cause notice being numbered Jute (T)-6/1/178/JuteMill-15-IV(E)Prt-1dated 18/09/2023, there were certain allegations being levelled against the alleged jute Mill Company, M/s Loomtex Engg. Pvt. Ltd., the said allegations in crux *inter alia* is mentioned hereunder :-

a) During the period from April –June 2023, the alleged mill company has supplied 5359 bales consisting of B. Twill Jute Bags to different Government agencies against Production Control cum Supply Orders issued by this office, and 3900 bales have been supplied to NAFED. It has surfaced after inspection and corroborating with physical verification of documents that, 6456 bales have been siphoned to the alleged mill company through M/s MRP Commercial Limited during the said period, either directly or channelized through one M/s Axis Overseas Limited.

b) Documents have not been furnished by the alleged jute mill to establish the fact either M/s MRP Commercial or M/S Axis Overseas Limited has had valid BIS License at the time of engaging into business activity of supplying Govt. B. Twill jute bags with the alleged mill company; precisely during the period April -June, 2023.

c) Since, the manufacturer from where the supplier has supplied the B. Twill bags to the Government Agencies did not possess BIS License at the time of supply, hence, the license number of the alleged jute mill which has been marked / branded on the jute bags at the time to supply is misleading, illegitimate and **wrongly branded.**

d) Therefore, the alleged mill company has committed *unfair* practice, in terms of the definition as is provided in the Jute & Jute Textile Control Order, 2016 , paragraph 2(h):-

UNFAIR PRACTICE, in relation to an order made under paragraph 4 shall include **misappropriation of jute bags**, non supply or default in supply of jute bags, supply of used or old jute bags or underweight jute bags or imported jute bags, jute bags manufactured with imported raw jute or jute yarn or fabric, unbranded or incompletely branded or **wrongly branded jute bags** or **jute bags, which do not conform to the BIS standards or the specifications mentioned in the production control order.**

e) The alleged Mill Company has also violated the conditions of the PCSO, which mandates the manufacturer to produce and deliver the requisite stores. However, the alleged mill company has procured and delivered the requisite stores. Further, such material was procured from entity which did not possess the BIS license at the time.

With the said show cause notice been given on the alleged Mill Company, hearing was provided in strict compliance with Jute & Jute Textile Control Order, 2016, keeping in mind the principles of natural justice.

Hearing was organised on 26th October, 2023 on which date the alleged mill company prayed for adjournment. Thereafter, hearing took place on 29th January, 2024.

The following communication was made with the Mill Company M/s Loomtex Engineering Pvt. Ltd:

1. Vide letter dated 27.06.2023, M/s Loomtex Engineering Pvt. Ltd. was asked to submit **GSTR1 and Production Report for 3 months** by 28.06.2023 to this office.

2. Vide letter dated 06.07.2023, letter was issued to M/s Loomtex Engineering Pvt. Ltd. to submit **GSTR1 and Production Report and invoice copies for 3 months** by 10.07.2023 to this office with reminder-I vide letter ref no. Jute (T)-6/1/178/Jute Mill/15-II (E) dated 13.07.2023 and reminder-II vide letter ref no. Jute (T)-6/1/178/Jute Mill/15-II (E) dated 08.08.2023; and subsequent reply dated 19.07.2023 and 10.08.2023 was received from M/s Loomtex Engineering Pvt. Ltd.

3. Show cause notice was issued on 18.09.2023 to M/s Loomtex Engineering Pvt. Ltd. in terms of Jute and Jute Textiles Control Order 2016.

4. Purported reply to the show cause was received vide letter dated 28.09.2023 from M/s Loomtex Engineering Pvt. Ltd.

Accordingly, necessary proceedings were drawn against the jute mill as per Jute & Jute Textile Control Order, 2016 through Hearing(s) before this adjudicating authority.

The alleged mill company, controverting the allegations as is envisaged through the show cause and the documents relied by the department, being produced at the time of hearing, replied that:-

a) the company has a long good reputation of supplying thousands of bales to different consignee at proper time, there has been no allegation of using third party manufactured bags to supply against PCSOs given by this office, the allegations as has been raised are with regard to supply order of NAFED, which has no

relation with the PCSOs issued by this office whatsoever; hence the provisions of Jute & Jute Textiles Control Order 2016, is not applicable

b) the alleged mill company also denied and disputed that the jute bags procured from the third party manufacturer had no legitimate BIS license, they further contended that, the jute bags manufactured in excess by them, after satisfactory supply against PCSO, are only given to NAFED in terms with the work order given by NAFED on them .

After conclusion of hearing, this adjudicating authority, passed the following order:

"Considering the above facts, the alleged mill company is ordered to produce original / certified copies of the work order given by NAFED, the detail data of order and supply for the period from Feb-June, 2023; the alleged mill company is also ordered to produce relevant documents authorising them by NAFED which enumerates that, they can procure manufactured B-Twill bags from any Third party. All the documents are to be given within a period of 7 days from the day of Receipt of this order copy."

Accordingly, the alleged mill company vide letter being numbered Nil dated 22.02.2024 through their Ld Advocate has purportedly replied. However, no information was received from the alleged mill company which can substantiate that NAFED had given any permission to the alleged mill company for purchasing B. Twill jute bags from outsourced agency which do not have any BIS License.

I have gone through the allegations being levelled against the alleged mill company; the documents corroborating such allegations and the physical inspection report. I have also heard the rival submissions of the alleged mill company. Documents provided by the Company demonstrate details of procurement of jute bags by the mill company from other companies (which did not have any BIS license) were also perused.

The S.O 2601(E) dated 6th June, 2022, issued by Ministry of Textiles , Government of India, in paragraph 2 has categorically demarcated the specified that jute manufactured products ought to have BIS Conformity. It was evident that the bags were procured from entities which did not have BIS licenses. As per section 17(1) of the BIS Act, 2016, no manufacturer shall produce any product which requires BIS Conformity, without a valid license. The goods have been manufactured by entities which did not possess any valid BIS license at that time.

The documents produced during the Hearing establishes the fact that, the alleged mill company has purchased B. Twill jute bags from M/s MRP Commercial and M/s Axis Overseas Limited, during April – June , 2023, and has supplied to Government agencies including NAFED. This is clear violation of the extant provisions of the Production Control and Supply Order which stipulates delivery of goods as per PCSO after production, and attracts the provisions of the definition embodied in "Unfair Practice" as per Jute & Jute Textile Control Order, 2016. Considering the above, the charges against the alleged mill company stands established.

ORDER

In terms with Jute & Jute Textile Control Order , 2016, paragraph 8 (a), the alleged mill company is debarred from getting any PCSO for Government supply for the period commencing from the date on which this order is propounded upto 3 months from the date of the said Order. It is made clear that if any order for Government supply is in the pipeline of the mill company as on date when this order is propounded, that has to be fulfilled by the mill company.

The matter stands disposed.

Let this order be circulated forthwith.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(2)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.08 22:53:08 +05'30'